<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थितः– श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री ज्ञान इंजीनियरिंग सेल्स, 28 गौतम बुद्व मार्ग, लखनऊ।**

प्रा0प0सं0– **422/2008**

प्रार्थी की ओर से– **श्री सुभाष चन्द्रा, फर्म साझीदार।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>

I– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 11–12–2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न वस्तुओं पर करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी हैः–

[i] Impact portable Drill Electric operated
[ii] Die Grinder portable Electric operated
[iii] Portable Angle Grinder Electric operated
[iv] Portable Marble Cutter Electric operated
[v] Portable Chop saw Electric operated
[vi] Hand operated Chain Pully Block [used in repair & lifting]

व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त वस्तुयें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2–क–क्रमांक 123 के अन्तर्गत आती है जो निम्नवत् हैः–

123	Tools**, aari and kanni used by carpenter and masons.**

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ ने पत्र संख्या–4189दिनांक 13–02–09 द्वारा आख्या प्रेषित की है जिसके अनुसार उपरोक्त 06 वस्तुओं के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है1उपरोक्त सभी वस्तुयें मशीने है जिनका उपयोग ड्रिलिंग, ग्राइन्डिंग, कटिंग उसका सा वर्क व चैनपुली ब्लाक के रुप में किया जाता है तथा केवल पोर्टेबिल होने के आधार पर इन मशीनो को टूल्स नहीं कहा जा सकता है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री सुभाष चन्द्रा, फर्म साझीदार उपस्थित हुये व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4– मैनें व्यापारी के धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या व अन्य साक्ष्यों, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया और पाया गया कि व्यापारी द्वारा जो उपरोक्त 06 वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है वह उपरोक्त वस्तुयें किसी भी अनुसुची में सम्मिलित नहीं है तथा यह सभी मशीने है तथा एक के अतिरिक्त सभी बिजली से चलित है। दिनांक 29–9–08 से पूर्व वैट अधिनियम की अनुसुची–2–क के क्रमांक–26 के अन्तर्गत मशीनरी सम्मिलित थीपरन्तुशासकीयविज्ञप्तिसंख्या–क0नि0–2–2758/ग्यारह–9(।)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(29)–2008दिनांक 29–9–08 द्वारा वैट अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2–क–क्रमांक 26 को विलोपित कर दिया गया है अतः दिनांक 29–9–08 के पश्चात उपरोक्त वस्तुयें अवर्गीकृत होने के कारण 12.5प्रतिशत की दर से कर देय होगी।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय

दिनांक ::20 मार्च, 2009

ह0/20–3–09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।